भारत में विवाह संस्था के बदलते प्रतिमान

*रूचिता खुराना

सार

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह परिवर्तन किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता रहता है। समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। समाज की आधार स्तम्भ कही जाने वाली संस्था विवाह संस्था में भी अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं।

भारत में विवाह संस्था के बदलते प्रतिमान एक गहन सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक हैं। परंपरागत भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था, जो न केवल दो व्यक्तियों बल्कि उनके परिवारों और कभी-कभी पूरे समुदाय को भी जोड़ता था। विवाह एक धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान माना जाता था। जिसमें परिवार की सहमति और समाज की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती थी। इसे जीवनभर का बंधन समझा जाता था, जिसमें पति-पत्नी के कर्तव्यों और अधिकारों की स्पष्ट रूपरेखा होती थी।

पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में तेजी से हो रहे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने विवाह संस्था के स्वरूप को बदल दिया है। अब विवाह में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम, और समानता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। युवा पीढ़ी अपने जीवनसाथी के चयन में अधिक स्वतंत्रता की अपेक्षा करती है और इस प्रक्रिया में परिवार की भूमिका सीमित हो गई है। प्रेम विवाह, अंतर्धार्मिक विवाह, और समलैंगिक विवाह जैसी अवधारणाओं को धीरे-धीरे सामाजिक स्वीकृति मिल रही है।

इसके साथ ही तलाक और पुनर्विवाह की दरों में वृद्धि और विवाह के प्रति बदलते दृष्टिकोण भी इस परिवर्तन का हिस्सा हैं। लोग अब विवाह को एक साझेदारी के रूप में देखते हैं। जिसमें व्यक्तिगत सुख और समायोजन का विशेष महत्व है।

इस प्रकार भारत में विवाह संस्था के बदलते प्रतिमान इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता पारंपरिक संस्थाओं को नए संदर्भों में ढाल रहे हैं। जिससे भारतीय समाज में एक नई सामाजिक संरचना उभर रही है।

विवाह संस्था में होने वाले परिवर्तनों का प्रमुख कारण शिक्षा का प्रसार ,आर्थिक स्वतंत्रता ,शहरीकरण और वैश्वीकरण, मीडिया की भूमिका और समानता और लैंगिक अधिकारों की मांग है।

विवाह: अवधारणा

भारतीय संस्कृति में विवाह को वैदिक काल से ही पवित्र रिश्ता माना जाता रहा है। विवाह एक सामाजिक - सांस्कृतिक संस्था है। यह वह आधार स्तंभ है जिसके द्वारा मानव का अस्तित्व बना हुआ है। विवाह को एक सामाजिक संस्था के रूप वर्णित किया गया है जिसकी अवधारणा को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में भली-भांति रूप से समझा जा सकता है। यह समाज की निरंतरता का आधार है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है -“उद्वाह“ अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। हिंदू धर्म में विवाह सोलह संस्कारों में से

''त्रयोदश संस्कार'' है। विवाह दो शब्दों से मिलकर बना है - वि $ वाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है - ''विशेष रूप से (उत्तरदायित्व का) वहन करना।

वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक ''History of Human Marriage'' में विवाह को परिभाषित करते हुए उसके बहु विवाह एवं समूह विवाह के स्वरूपों को इंगित किया है एवं विवाह के फलस्वरूप परिवार में सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है।

मजूमदार एवं मदान के अनुसार ''विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है। जो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक संबंधों में सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार विवाह जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी निर्धारण एवं नियमन करता है।''

मैलिनोवस्की के अनुसार- ''विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन-पोषण के लिए इकरारनामा है''।

बोगार्डस के अनुसार - ''विवाह स्त्री एवं पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है, अर्थात विवाह करने वाले स्त्री-पुरूष एक नवीन परिवार का निर्माण करते हैं।''

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विवाह समाज की एक महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो परिवार के नियमन को संभव बनाती है। एक सामाजिक संस्था के रूप में यह बच्चों के पालन-पोषण के लिए अपेक्षाकृत स्थायी संबंधो में प्रवेश करने के लिए एक मान्यता प्राप्त अवधारणा है।

विवाह के बदलते प्रतिमान

वर्तमान में विवाह के प्रतिमान में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ विवाह एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है वही आज विवाह में अनुकूलता और उपयोगिता पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। विवाह सामाजिक संबंधों और प्रथाओं द्वारा संरचित और सामाजिक मानदंडों और मूल्यों में अंतर्निहित अवधारणा है।

वर्तमान में वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण विवाह के प्रतिमानों में मूलभूत परिवर्तन हो रहा है (पलरीवाला और कौर 2014)।

विवाह में जाति, धर्म और गोत्र आदि के मिलान की बजाय समान व्यवसाय, आर्थिक क्षमता, उपयोगिता, भरोसेमंदता और समान स्वभाव और शारीरिक रूप को अधिक महत्व देने के प्रमाण मिल रहे हैं (प्रकाश और सिंह 2013)।

विवाह प्रतिमानों के बदलते स्वरूप में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवन-साथी चयन के परंपरागत स्वरुप में अनेक परिवर्तन देखने को मिल रहे है। विवाह के लिए साथी चयन हेतु वैवाहिक वेबसाइट्स जैसे-जीवन साथी डॉट कॉम, शादी डॉटकॉम आदि पर अपनी वरीयताओं के आधार पर जीवनसाथी का चुनाव किया जा रहा है। कुंडली और जन्मपत्री मिलान को नकारा जा रहा है। वैवाहिक वेबसाइट्स द्वारा दोनों पक्षों की मीटिंग तय की जाती है, लड़का और लड़की अपनी वरीयताओं और पसंद के अनुसार जीवनसाथी का चयन करते हैं -जैसे समान व्यवसाय,आय स्तर को ज्यादा महत्व दिया जाता है उसके बाद ही जाति, धर्म और निवास स्थान को देखा जाता है।

वैवाहिक कार्यक्रमों का संपादन इवेंट कंपनियों द्वारा किया जाता है। जिसमें प्री-वेडिंग शूट से लेकर सभी कार्य इन कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। विवाह बाजार में डेस्टिनेशन वेडिंग की अवधारणा भी जोरों पर है जो बॉलीवुड से प्रभावित है।

विवाह को भव्य पर्व बनाने के लिए विवाह समारोह पर भारी राशि खर्च की जाती है। विवाह के मंडप को सजाने, भव्य भोज की व्यवस्था, मिठाईयां, उपहार, लंबी मेहमान सूची, संगीत, वीडियोग्राफी आदि पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, जो एक आर्थिक प्रतियोगिता को प्रदर्शित करता है।

आज के युग में विवाह के वैकल्पिक स्वरूप उभरकर सामने आ रहे हैं। जिसमें आंतरिक विवाह, उपयोगितावादी विवाह, अनुबंध विवाह और अस्थाई विवाह, कंप्यूटर विवाह आदि सम्मिलित है। जिम्मेदारी से बचने के लिए और उनमें प्रतिबद्धता की कमी, सामाजिक-बंधनों परंपराओं का अनादर, धैर्य शक्ति का अभाव के कारण आज का युवा इन विकल्पों को अपना रहा है।

विवाह के बदलते प्रतिमान में अंतर्जातीय विवाह की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कपाड़िया(1982) ने भारत में अंतर्जातीय विवाह पर जो अध्ययन किया और उनके आंकड़ों के अनुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक माता-पिता अपने बच्चों की अपनी जाति से बाहर विवाह करने के पक्ष में थे।

विवाह स्थिरता में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तलाक दर में वृद्धि की दर 50 से 60 फ़ीसदी तक हो गई है। विधायी प्रावधान, उच्च शिक्षा और तकनीकी उन्नति और जागरूकता के कारण विवाह संस्था की स्थिरता में गिरावट आई है।

विवाह आयु में परिवर्तन, देर से विवाह की प्रवृत्ति सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से जुड़ी है जो शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी के कारण इस स्थिति को और अधिक बढ़ा रही है (पुरी 1999)।

विवाह आयु में परिवर्तन का प्रभाव प्रजनन दर पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में 1990 के दशक में प्रजनन दर 5.6 थी जो 2008 में घटकर 2.8 हो गई है (विश्व बैंक रिपोर्ट 2008) प्रजनन दर 2022 में 2.0 रह गई है **(N.F.H.S)**।

विवाह संस्था में होने वाले परिवर्तन

- विवाह के स्वरूप में परिवर्तन
- विवाह के उद्देश्य तथा प्रयोजन में परिवर्तन
- जीवनसाथी के चयन की प्रक्रिया में बदलाव
- विवाह की आयु में परिवर्तन
- विवाह की स्थिरता में परिवर्तन (तलाक दरों में वृद्धि)
- जीवनसाथी चयन के क्षेत्र में परिवर्तन (अंतरजातीय विवाह की संख्या में वृद्धि)

विवाह संस्था के बदलते प्रतिमान के प्रमुख कारक

1. आर्थिक कारक

विवाह संस्थाओं के बदलते स्वरुप में उच्च शिक्षा, बढ़ते शहरीकरण और घर के बाहर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। लोगों ने काम के लिए परिवार से बाहर जाना शुरू कर दिया है और महिलाओं ने भी नौकरी खोजने और पैसे कमाने की प्रक्रिया में पुरुषों के साथ शामिल होना शुरू कर दिया है। इससे महिलाओं के आत्म-सम्मान और

आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इन विकासों ने विवाह संस्था को प्रभावित किया है (कपड़िया, 1982)।

2. सामाजिक कारक:

सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार स्तम्भ संयुक्त परिवार होते थे, जिसमें परिवार के सदस्यों की परस्पर निर्भरता होती थी और एक घनिष्ठ रूप से परस्पर क्रियाशील समुदाय होता था। आज परिवर्तन के दौर में, अत्यधिक शहरी और समृद्ध समाज में, कार्य पैटर्न अधिक विभेदित हो गए हैं, जिससे समुदाय के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम हो गई है। इस पैटर्न ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया है (सोनावत, 2008)।

परम्परानुसार महिलाओं का धर्म विवाह करके अपने पारिवारिक जीवन को सुनिश्चित करना, बच्चों की परवरिश करना था। ये ही सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि और पुरस्कार था। कोई भी अन्य जीवन सामग्री व्यक्तिगत मूल्य की समान भावना प्रदान नहीं कर सकती थी। वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण, पारिवारिक भूमिकाओं का संस्थागतकरण, तकनीकी सुधार और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ने बच्चों के पालन-पोषण, निर्णय लेने, वित्त और घरेलू कार्यों के क्षेत्रों में अधिक समतावादी पारिवारिक मानदंडों की माँग को जन्म दिया।

3. विधायी प्रावधान:

विधायी प्रावधान ने विवाह संस्था की प्रकृति को बदलने में मदद की है क्योंकि अब विवाह में कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। हिंदू विवाह प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए कानून पारित किए गए। ये कानून (i) विवाह की आयु (ii) जीवन साथी के चयन के क्षेत्र (iii) विवाह में जीवनसाथियों की संख्या (iv) विवाह विच्छेद (अ) दहेज लेने और देने (आ) पुनर्विवाह से संबंधित थे।

4. आधुनिकीकरण का प्रभाव

भारत में हिंदू विवाहों के बदलते प्रतिमानों का प्रमुख कारण आधुनिकीकरण और शहरीकरण का प्रभाव है। आज भारत में तेजी से आर्थिक विकास और शहरी विस्तार हो रहा है। विवाह समारोह में उल्लेखनीय बदलाव हमें देखने को मिल रहे है। युवा पीढ़ी तेजी से विवाह के लिए अलग-अलग विकल्प का चयन कर रही है। प्राचीन परंपरागत रीति-रिवाजों और औपचारिकताओं में कमी देखने को मिल रही है। युवा बदलती जीवन शैली, मूल्यों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को अधिक महत्व दे रहा है।

5. सोशल मीडिया का प्रभाव

भारत में विवाह संस्था के प्रतिमानों में बदलाव लाने का प्रमुख कारण वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव है। वैश्विक मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सोशल मीडिया के प्रति संपर्क में विवाह के प्रति नवीन रुझानों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है. आज विवाह परम्परागत विवाह समारोह के स्थान पर बॉलीवुड वेडिंग थीम पर संपन्न हो रहे है। डेस्टिनेशन वेडिंग और प्री वेडिंग जैसी अवधारणा उभर कर सामने आ रही है।

निष्कर्ष

भारत में विवाह संस्था के बदलते प्रतिमान: हिंदू विवाह में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप के बदलते परिदृश्य की ओर इंगित करता है। अंतर धार्मिक, अंतःजातिगत और अंतर सांस्कृतिक विवाह में वृद्धि के साथ ही प्रेम विवाह हेतु स्वीकृति और समावेशिता की ओर बढ़ते हुए क़दमों को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह में वृद्धि दर पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव को

दर्शाती है जिसमें व्यक्तियों के पास अपने जीवन साथी को चुनने के अधिक विकल्प जैसे वैवाहिक वेब साइड्स उपस्थित हैं। प्रेम विवाह को आकार देने वाले तत्वों की और सोशल मीडिया के प्रभाव को भी वह उजागर किया गया है। यह सभी परिवर्तन अधिक व्यक्तिवादी, समता वादी और समावेशी वैवाहिक संबंधों की ओर बदलाव को इंगित करते हैं। हिंदू विवाह से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने के मामले में चुनौतियां को भी प्रदर्शित किया गया है। जैसे-जैसे भारत परंपरा और आधुनिकता की जटिलताओं के परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, विवाह संस्था निःसन्देह समाज के लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों के अनुरूप विकसित, अनुकूलित और पुनः परिभाषित होती रहेगी।

प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा विवाह संस्था की स्थिरता और विवाह के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण और जीवन साथी के प्रति उनकी सहनशीलता को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है, का अध्ययन भी किया जाएगा। जिससे युवा वर्ग की शक्ति को सकारात्मक भूमिका में परिवर्तित किया जा सके।

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन द्वारा सरकार को नीतियों के निर्माण में एक नई दिशा प्राप्त होगी। जिससे युवा वर्ग स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।

प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा युवाओं को एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी कि किस तरीके से वह अपने विवाह को बनाए रख सकते हैं तथा उनमें यह समझ विकसित होगी कि किस प्रकार से वह अपनी वैवाहिक स्थिति को बेहतर तरीके से कायम रख सकते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। महिलाएं जीवनसाथी के चयन हेतु विवाह बाजार के विकल्पों को अपनी कार्यकारी रूपरेखा के अनुसार चयन करके अपनी वैवाहिक रिश्तो में अनुकूलता बनाए रख सकेंगी और साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकेंगी।

प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा सरकार और नीति निर्माताओं को भी एक अंतर्दृष्टि मिलेगी जिससे वह लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह से संबंधित नई-नई योजनाओं का निर्माण कर सकेंगे। शोध के द्वारा सरकार को अपनी कार्यनीति और नवयुवकों के बेहतर कल के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक नयी दृष्टि प्राप्त होगी।

प्रस्तुत शोध पत्र भविष्य में शोधकर्ताओं के लिए आधारशिला का काम करेगा। शिक्षाविद् को पाठ्यक्रम के संरचनात्मक स्वरूप को विकसित करने में नयी दिशा प्राप्त होगी।

साहित्य पुनरावलोकन

1. फोस्टरमार्क, एंड्रयू और रोसेनज़वेग, आर,(1999)"लापता महिलाएं, विवाह बाजार और आर्थिक विकास" शोध में समकालीन समाजों में मानव पूंजी निवेश में लैंगिक असमानताओं को प्रदर्षित किया है। प्रस्तुत साहित्य में पुरूषों की आर्थिक स्थिति और मूल्यों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक दर्षाया गया है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारको में समाज की स्थानिक विशेषताओं जैसे पितृसत्तात्मक रिश्तेदारी प्रणालियाँ और पितृस्थानीय बहिर्गमन प्रथा ने अहम् भूमिका निभायी है जिसमें आर्थिक स्तर पर महिला घाटे को बढ़ाया है। पुरूष और महिलाओं के मध्य आर्थिक और सामाजिक विषमता को बढ़ाने में आय सबसे अहम् कारक है।

2. जीजीभॉय, शिरीन जे. और हल्ली, शिवा एस,(2005)''ग्रामीण भारत में विवाह के प्रतिमान: सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में" अपने इस लेख में मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में विवाह आयु में परिवर्तन की ओर इंगित किया है और विवाह प्रतिमानों में परिवर्तन का मुख्य आधार सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से संबंधित है। इस लेख में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्यों में महिलाओं की विवाह समय की औसत आयु को वर्णित किया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों राज्यों में विवाह आयु में परिवर्तन मध्यम और अलग-अलग गति से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में, प्रारंभिक किशोर विवाह (15 वर्ष से कम) समूह में द्वारा स्पष्ट रूप से गिरावट आई हैं।
3. एस्ट्रोम, जोहाना, (2009) "विवाह, धन और प्रवास" यह पत्र विवाहित और लिव-इन में रहने वाले युगलोंमें सकल आय पर अंतर्क्षेत्रीय प्रवासन के प्रभावों की जांच करता है। विशेष रूप से, शिक्षा स्तर और आय-लाभ के बीच संबंधों की जांच करते हैं। इस अध्ययन में हम पाते हैं किस प्रकार पूर्व-प्रवासन, शिक्षा स्तर और आर्थिक परिणामों का एक प्रमुख निर्धारक है और यह परिवार के भीतर भी आय वितरण पर प्रवासन के प्रभावों का भी निर्धारक है। यह पत्र जीवनसाथी की शिक्षा का व्यक्ति की आय पर प्रभाव का विश्लेषण करता है।
4. तोराबी, फतेमेह और बासचीरी, एंजेला, (2010) "ईरान में पहली विवाह के संक्रमण में जातीय अंतरः विवाह बाजार की भूमिका, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विकास की प्रक्रिया" यह पेपर, 2000 के ईरान जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों और 1986 और 1996 की ईरान की जनगणना से प्राप्त भिन्न जिला-स्तरीय प्रासंगिक जानकारी का उपयोग करते हुए, पहली बार महिलाओं के संक्रमण में जातीय अंतर का अध्ययन करने के लिए एक असतत समय के खतरे के मॉडल को लागू करता है। मॉडल विनिर्देश विवाह के संक्रमण के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में स्थानिक और लौकिक दोनों परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है।
5. कौर,गगनप्रीत तथा सिंह,सुखदेव (2013) ने "भारतीय समाज में विवाह के बदलते स्वरूप" पर एक शोध अध्ययन किया। इस पत्र का उद्देश्य विवाह संस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना और परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों की जांच करना था। आधुनिक युग में उभरती नई सामाजिक प्रवृतियाँ जैसे, समलैंगिक/लेस्बियन संबंध, सहवास,लिव-इन-रिलेशनशिप, विवाह की स्थिरता में परिवर्तन, तलाक की दर में वृद्धि आदि पर भी इस पत्र में चर्चा की गई है। इस पत्र में विवाह की संस्था में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों जैसे -आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी के आगमन, जीवन भौतिकता में वृद्धि, विधायी प्रयासों और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव, शैक्षिक विकास आदि को भी इंगित करता है। पेपर में चर्चा द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।
6. गैरिडो, एंजेल्स अर्जोना और ओल्मोस जुआन कार्लोस, (2014) के द्वारा अपने शोध कार्य में "स्पेन में विवाह बाजारः-मिश्रित विवाहों में अवसर की संरचना का विश्लेषण" का मुख्य उद्देश्य विदेशियों और स्पेन के मूल निवासियों के बीच विवाह के महत्व और विशेषताओं का पता लगाना है। विवाह बाजार अवसर संरचना की परिभाषा का प्रथम पहलू लक्ष्य के लिए Movimiento Natural de Población (महत्वपूर्ण सांख्यिकी) सांख्यिकीय स्रोत से आंकड़ें प्राप्त किये गये थे। दूसरे के लिए, । ASEP कंपनी द्वारा लिए गए अप्रवासियों के प्रति स्पेनिश आबादी के दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण से आंकड़े लिये गये थे। परिणाम दिखाते हैं, सबसे पहले, मिश्रित विवाहों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

7. डेंग,दाए(2014) “पुरुष विवाह वेतन/मजदूरीअधिमूल्य और विवाह बाजार प्रतियोगिता” द्वारा लिखित पत्र में पुरुष विवाह अधिमूल्य की व्याख्या करने के लिए तीन मुख्य परिकल्पनाएँ प्रस्तावित की गई हैं। जिसमें विवाह चयन परिकल्पना, पुरुष-महिला श्रम विशेषज्ञता परिकल्पना और विवाह बाजार प्रतिस्पर्धा परिकल्पना हैं। पत्र यह परीक्षण करने की कोशिश करता है कि क्या विवाह चयन परिकल्पना पुरुष विवाह अधिमूल्य की व्याख्या करती है। विवाह चयन का प्रभाव, जिसका अर्थ है उच्च आय वाले पुरुषों को विवाह में चुने जाने की उच्च संभावना होती है। विवाह बाजार प्रतिस्पर्धा स्तर से सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होना चाहिए और इस प्रकार उच्च विवाह बाजार प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में, उच्च उत्पादकता वाले पुरुषों का उच्च घनत्व होना चाहिए।

8. फोस्टर,एंड्रयू,(2016) ने अपनी पुस्तक “विवाह बाजार“ में उल्लेख किया है, कि ’विवाह बाजार’ शब्द आर्थिक सिद्धांत के आवेदन की उस प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए संदर्भित करता है जो यह निर्धारित करता है कि विवाह के लिए पुरुषों और महिलाओं का एक-दूसरे से कैसे मिलान किया जाए और कैसे यह प्रक्रिया मानव पूंजी निवेश और वैवाहिक अधिशेष के आवंटन सहित अन्य विकल्पों को प्रभावित करती है। इस लेख में विशिष्ट उप-विषयों में विवाह में स्थिर स्वत्वार्पण का वर्णन, विवाह के भीतर वितरण पर विवाह आवंटन के प्रभावों पर विचार करना, किस हद तक विवाह करने वाले भागीदारों की समान विशेषताएं हैं।

9. ग्रॉसबार्ड, शोशना, (2016) द्वारा लिखित “विवाह और विवाह बाजार” यह पत्र विवाह के मॉडल की समीक्षा करता है, इस बात पर विशेष जोर देने के साथ कि कैसे लिंगानुपात (विवाह योग्य पुरुषों का महिलाओं से अनुपात) औसत दर्जे के परिणामों की व्याख्या करने में मदद कर सकता है जैसे विवाह निर्माण, उपभोग वस्तुओं का अंतर्विवाह वितरण, श्रम आपूर्ति, बचत, संबंध के प्रकार, तलाक , और अंतर्विवाह। शोध मे वर्णित भविष्यवाणियां बेकर के मांग और आपूर्ति विश्लेषण पर आधारित हैं। भविष्यवाणियों के समर्थन में साक्ष्य की सूचना दी गई हैं। लेख में “गैरी बेकर के विवाह मॉडल”, में पहला आर्थिक सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है अन्य और भी मॉडल इसमें सम्मिलित किये गये है जैसे निर्णय लेने के सूक्ष्म स्तर का सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। बेकर के विवाह बाजार विश्लेषण में तुलनात्मक सांख्यिकी सम्मिलित है जो यह प्रदर्शित करती है कि लिंग अनुपात सहित विवाह बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों से वैवाहिक उत्पादन और आय के विभाजन को प्रभावित करने की उम्मीद अधिक होती है।

10. कपाड़िया, के.एम., (2017) द्वारा हिंदू विवाह और परिवार के बदलते प्रतिमानों पर एक अध्ययन किया गया था। इस पत्र का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विधायिका के माध्यम से सामाजिक सुधार के किसी भी कदम का समुदाय के रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह अध्ययन सर्वेक्षण पद्धति और एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। आंकड़ो के संग्रह के लिए समूह नमूना का उपयोग किया गया है। पायलट सर्वेक्षण द्वारा हिंदू समाज की वर्तमान मनोदशा और स्वभाव का प्रतिनिधित्व किया गया है। इस अध्ययन में विवाह की आयु, विवाह के लिए साथी का चयन, विवाह संस्कार, विवाह विच्छेद एवं विधवाओं के पुनर्विवाह जैसे प्रमुख बिन्दुओं में वांछित परिवर्तनों के आलोक में भावी प्रतिमानों की विस्तृत रूपरेखा को इंगित किया गया है।

11. सिंह, बलदेव, (2017) ने “विवाह की अवधारणा के बदलते आयामों - भारत में व्यक्तिगत कानूनों के लिए एक समकालीन चुनौती” इस अध्ययन में आधुनिक समय में विवाह प्रतिमानों में जो बदलाव हो रहे है, जिनके कारण विवाह की पारंपरिक

अवधारणा बदलती जा रही है और वर्तमान समाज में अरेंज्ड मैरिज से लेकर लव मैरिज और अब लिव-इन-रिलेशनशिप के साथ-साथ गे-मैरिज जैसे बदलाव भी आसानी से देखे जा रहे है। यह अध्ययन भारतीय परिपेक्ष्य के सन्दर्भ ये भी चर्चा करता है कि विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को या तो उनके व्यक्तिगत कानूनों या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जैसे नागरिक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और शासित किया जाता है।

12. एस, अनुकृति और दासगुप्ता, शतंजय, (2017) ''विकासशील देशों में विवाह बाजार'' इस अध्याय का उद्देश्य विकासशील देशों में विवाह संबंधी साहित्य की समीक्षा करना है। । इसमें यह वर्णन किया गया है कि वैवाहिक मिलान कैसे होते है, विवाह में उम्र के रुझान; मिश्रित संभोग तरीके, विवाह भुगतान; और विवाह के बाद पति-पत्नी का निर्णय लेना। इस लेख में सजातीय और बहुविवाह विवाहों की प्रवृत्तियों और तर्कों पर भी चर्चा की गयी है। यह अध्ययन सर्वप्रथम विवाह और सहवास के स्तर को इंगित करता है दूसरा साथी चयन की प्रक्रिया को प्रदर्षित करता है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि विवाह के समय परिवारों के बीच संसाधनों का हस्तान्तरण किस प्रकार होता है। तीसरा, वैवाहिक विघटन को नियंत्रित करने वाले कानूनों से संबंधित तथ्यों को विष्लेषित करता है।

13. रुवाली,प्रियंका,एन,(2018) ने ''भारत में विवाह का बदलता परिदृश्यः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण'' पर एक शोध अध्ययन किया है। इस पेपर का मुख्य केंद्र विवाह के प्रति लोगों के बदलते नजरिए को उजागर करना हैं। आज अंतर्जातीय विवाह, अंतर्प्रांतीय और यहां तक की अंतर्धार्मिक विवाह भी स्वीकार किए जा रहे हैं। साहित्य समीक्षा में अनेक पहलूओं जैसे- विधवा विवाह के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण कैसे धीरे-धीरे बदल रहा हैं, कैसे आज पारंपरिक विवाहों को व्यक्तित्व की हानि, गोपनीयता की हानि, स्वतंत्रता की कमी, व्यक्तिगत विकास की कमी, सामाजिक और यौन विविधता की कमी, जीवनसाथी के प्रति असंतोष, यौन कुंठा और ससुराल वालों से विवाद आदि को गंभीर समस्या के रूप में चित्रित किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।

14. मंडल,पूजा,(2018) के द्वारा लिखित लेख ''आधुनिक भारत में हिंदू विवाह प्रणाली में बदलाव'' में यह वर्णित किया गया है कि शहरीकरण, औद्योगीकरण, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव और विवाह कानूनों जैसे कई कारकों के कारण हिंदू विवाह की संस्था में बदलाव आ रहा है। इस लेख में हिंदू आदर्शों, विवाहों के रूपों और मूल्यों में परिवर्तन को चित्रित किया गया है कि किस तरह से वर्तमान में यौन लोकाचार और मूल्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। विवाह पूर्व यौन संबंध जिससे पारंपरिक भारतीय समाज में पूरी तरह से अज्ञात था परन्तु अब यह संबंध धीरे-धीरे सामने आ रहे है। इस लेख में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के साथ-साथ अन्य विचारकों के विचार भी लेख में लिए गए हैं।

15. मिश्रा,रवीन्द्रनाथ,(2020) के द्वारा ''भारतीय विवाह के बदलते परिदृश्य'' पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में हिन्दू समाज में विवाह की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। विवाह वास्तव में एक बहुत ही जटिल अवधारणा है और रहेगी भी। एक समय था जब एक पुजारी और उनके सहायक जीवनसाथी के चयन में बिचौलिये (मैचमेकर्स) की भूमिका निभाते थे। अब कई अलग-अलग वैवाहिक साइट्स इस भूमिका को निभा रही हैं। आधुनिक समय में कई नई अवधारणाएं विकसित हो रही है, जैसे प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। इस परिपेक्ष्य में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

16. आंद्रे, पियरे- चियापोरी(2020) के द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र की वार्षिक समीक्षा का विषय ''विवाह बाजार के सिद्धांत और अनुभव'' में विवाह बाजारों में हुए समकालीन विकास की समीक्षा करता है। इस साहित्य में स्थानान्तरण या खोज प्रतिमान के साथ घर्षण रहित मिलान प्रतिमान पर आधारित ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। अर्थशास्त्र में, विवाह के लिए बाजार की धारणा (अपेक्षाकृत) एक नवाचार है। बेकर (1973, 1974) ने सबसे पहले यह इंगित किया था कि आर्थिक विश्लेषण के उपकरण (और विशेष रूप से मूल्य सिद्धांत में) विवाह, तलाक या प्रजनन जैसी जनसांख्यिकीय घटनाओं के विश्लेषण के लिए लागू किए जा सकते हैं।
17. पांडे, श्याम, प्रकाश (2021) के द्वारा अपने शोध कार्य'' भारत में विवाह संस्था के बदलते आयाम: सामाजिक-कानूनी मूल्यांकन'' में विवाह के कानूनी-सामाजिक महत्व, लिव-इन-रिलेशनशिप, व्याभिचार के भेदभाव, समान-यौन विवाहों को भी इंगित किया गया है। इस शोध में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। अध्ययन का दायरा काफी हद तक पुस्तक समीक्षाओं, हिंदू और मुस्लिम कानून के प्राचीन ग्रंथों, कानूनी पत्रिकाओं के लेखों और न्यायिक निर्णयों पर आधरित है। आज लोग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।
18. परवाज़,(2021) के द्वारा लिखित लेख ''व्यवस्थित विवाहः भारत में एक बाजार है'' में पारंपरिक विवाह स्वरूप में किस प्रकार जाति, प्रतिष्ठा कुंडली ,पैसा साख-आदि का मिलान किया जाता है, यह दो लोगों के बीच अच्छी समझ की परवाह किए बिना किया जाता है। पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप विवाह को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और संभावित लोगों को कम से कम बातचीत करने की अनुमति होती है। यह लेख महिलाओं के दृष्टिकोण से विवाह प्रक्रिया को देखता है। भारत में महिलाओं को परायाधन माना जाता है जिन्हें अंततः किसी अन्य घर में जाना और सामंजस्य करना पड़ता है। इस लेख में यह चित्रित किया गया है कि विवाह के बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है और एक आदर्श जोड़ी की उम्मीदें एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हैं जहाँ से कोई वापसी नहीं हो सकती।
19. बिष्ट, सीता और बिष्ट, प्रीतबहादुर, (2021) ने अपने अध्ययन ''राणा-थारू समुदायों में विवाह के बदलते प्रतिमान'' अपने शोध में विवाह के अर्थ को स्पष्ट करतें हुए वर्णित किया गया है कि विवाह समाज की एक ऐसी संस्था है जिससे परिवार की स्थापना होती है। विवाह के संबंध में राणा-थारूओं के अपनेप्रतिमान, संस्कृति, रीति-रिवाज, मानदंड और मूल्य हैं। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राणा-थारू समुदाय में विवाह प्रणाली के बदलते प्रतिमान का विश्लेषण करना था। अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान के स्थितिजन्य विश्लेषण योजना को नियोजित किया गया है। अर्ध-संरचित साक्षात्कार और अवलोकन को आंकड़ों को एकत्रित करने के उपकरण के रूप में उपयोग किया गया हैं। वर्तमान में ''राणा-थारू समुदायों में विवाह प्रतिमानों - रीति रिवाजों, संस्कारों, साथी चयन की प्रक्रिया मानदंडों, मूल्यों को संशोधित किया है।
20. लुज़ेक, मरेक, (2022) के दवारा लिखित ''विवाह के लिए एक आर्थिक दृष्टिकोण'' पत्र का उद्देश्य विवाह के लिए एक आर्थिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करना है। पहले भाग में परिवार के अर्थशास्त्र का परिचय है। दूसरा भाग विवाह बाजार का विश्लेषण करता है। तीसरा भाग घर में घरेलू कामों के विभाजन पर चर्चा करता है। चौथा भाग विवाह को सहकारी या असहयोगी खेल के रूप में परखता है। पाँचवाँ भाग विवाह बाजारों में एक विवाह और बहुविवाह के बीच की दुविधा से संबंधित है। छठा भाग समाजशास्त्र के निष्कर्षों के साथ विवाह के अर्थशास्त्र का सामना करता है।

21. सैनी, नवनीत (2022) ने “भारत में विवाह गठबंधन के बदलते प्रतिमान को समझनाः प्राचीन समाज बनाम समकालीन समाज” पर एक शोध अध्ययन किया है। इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य विवाह के बदलते स्वरूप को जानने का प्रयास करना है। प्राचीन काल में प्रचलित विवाह संबंधों की संरचनाओं की वर्तमान संरचनाओं से तुलना करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक समय में शादी के बंधन में बंधने के तरीके बदल रहे है। जीवन साथी के चयन हेतु अपनी वरीयताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। आज विवाह एक समझौते का रूप ले रहा है। वैवाहिक सूचनाओं के नए संसाधनों ने भारत में विवाह संबंधों को निर्मित करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक और सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है। आंकड़े विभिन्न वैवाहिक वेबसाइट द्वारा भी एकत्र किए गए हैं। विवाह प्रणाली का पारंपरिक स्वरूप पूरी तरह से बदल रहा है।

***शोधार्थी**
समाजशास्त्र विभाग
वनस्थली विद्यापीठ
जयपुर (राज.)